न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/27/2023	2023/45	25.01.2023	14.05.2024

1. हजारी पुत्र लक्ष्मण जाति जाटव निवासी डोरोली रोड़, खेरलीरेल तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।
2. सरोज पत्नी स्व0 रेवती जाति जाटव निवासी डोरोली रोड़, खेरलीरेल तहसील कठूमर जिला अलवर हाल केलाश नगर मण्डावरा तहसील हिण्डौन जिला करोली राज0।

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र मनोहरी जाति जाटव निवासी डोरोली रोड़, खेरलीरेल तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।
2. रामेश्वरी पत्नी लक्ष्मण जाति जाटव निवासी डोरोली रोड़, खेरलीरेल तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।
3. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कठूमर निर्णय दिनांक 21.07.2022 प्रकरण संख्या 1 अंतर्गत माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण—पोषण अधिनियम 2007

उपस्थितः—
01. श्री मूलचन्द चौधरी —वकील अपीलार्थीगण
02. श्री मनोज जैन —वकील रेस्पोडेन्ट्स

—:: निर्णय ::—

अपीलार्थीगण द्वारा अपील विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कठूमर के निर्णय दिनांक 21.07.2022 प्रकरण संख्या 1 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी कर तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया। उभय—पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण में निर्णय की जानकारी अपीलान्ट्स को दिनांक 05.01.2023 को हुई जिस पर दि0 06.01.2023 को नकल प्राप्त कर बिना देरी अपील पेश है। अपीलांट सं0 2 रेस्पो0 सं0 1—2 की विधवा पुत्रवधू है, पुत्र के स्वर्गवास के बाद विधवा पुत्रवधू से सास—ससुर द्वारा भरण—पोषण मांगने का अधिकार नहीं है। अपीलांट सं0 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होकर दिनांक 18.07.2021 को जवाब पेश किया जिस पर सुनवाई के लिए आगामी तारीख पेशी माह अगस्त में नियत कर दी गयी। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने नियत दिनांक से पूर्व ही अपीलांट्स को बिना सुने गैरकानूनी तरीके से प्रकरण का निर्णय कर मनमाना आदेश दिनांक 21.07.2022 को सुना दिया। रेस्पो0 सं0 1—2 ने जो अधीनस्थ न्यायालय में परिवाद पेश किया है वो साधारण प्रा0पत्र पेश किया है जबकि रेस्पो0 1—2 को निर्धारित प्रोफोर्मा में ही आवेदन करना चाहिए था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स की सेलेरी बाबत रैस्पो0 1 —2 से कोई विवरण नहीं मांगा और ना संबंधित विभाग से अपीलांट्स की सेलेरी बाबत सूचना प्राप्त की । केवल रैस्पो0 1—2 के कथनों पर विश्वास कर व अपीलांट्स की नौकरी मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने गैरकानूनी व मनमाना निर्णय किया है। रेस्पो0 1—2 ने अपने पुत्र राजेश व राजवीर से मिलकर अधीनस्थ न्यायालय में परिवाद पेश किया था। अपीलांट सं0 1 ने पुत्र राजेश व राजवीर से मिलकर अपनी पैत्रक खातेदारी की जमीन अपीलांट्स की बिना सहमति के बेच दी जो रकम प्राप्त हुई वो अपीलांट्स को ना देकर अन्य वारिसान को दे दी। पैत्रक मकान पर भी अपीलांट्स व राजेश, राजवीर का कब्जा है। अपीलांट्स रेस्पो0 1—2 को अपने पास रखकर उनकी सेवा चाकरी करने

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

तथा अच्छी तरह से देखभाल करने को तैयार है। रेस्पो0 सं0 1 सन् 2020 में भरण–पोषण हेतु न्यायालय मुन्सफी प्रा0पत्र पेश किया, जिसमें अपीलांट्स द्वारा जवाब भी पेश कर दिया है। रेस्पोडेंट्स अलग–अलग न्यायालय से अपीलांट्स से अलग–अलग गुजारा भत्ता मांग रहे है, जो कानूनन सही नहीं है। जो बिन्दू अपीलांट सं0 2 ने अपने जवाब में अंकित किये थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 सं0 1–2 अथवा कोई स्वतंत्र गवाह के बयान नहीं लिये केवल रेस्पो0 के लिखित कथनों पर विश्वास कर उक्त गैरकानूनी निर्णय पारित किया है। अपीलांट्स को जो वेतन मिलता है वो किराये के मकान बच्चों की पढाई व अन्य खर्चो में खत्म हो जाता है। इस वजह से अपीलांट्स के पास कोई पैसा नहीं बचता फिर भी अपीलांट्स रेस्पो0 1–2 को समय–समय पर खर्चे को पैसे देते है, जिनको रेस्पो0 1–2 अपने अन्य पुत्र–पुत्रियों को दे देते है। अपीलांट्स रेस्पो0 को अपने पास रखने को तैयार है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21.07.2022 निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान वकील रैस्पो0 ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलार्थी सं0 1 सरकार डॉक्टर है जो सीएचसी वैर में एवं उसकी पत्नी लक्ष्मी जो कि सरकारी अध्यापिका है जो कसोली तहसील हिण्डौन जिला करोली में सेवारत है जिन्हें करीब एक लाख रूपये से अधिक वेतन मिलता है अप्रार्थी सं0 4 के पति रेवती की अच्छी पढाई लिखाई करवाकर उसे सीआरपीएफ में सर्विस लगवाई लेकिन रेवती के एक एक्सीडेण्ट में मृत्यु हो जाने के कारण अप्रार्थी सं0 4 को नौकरी मिल गई, जो कैलाश नगर मण्डावरा तहसील हिण्डौन जिला करोली में अध्यापक की नौकरी कर रही है। जिसे करीब 50000 रूपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। अप्रार्थी सं0 2 राजेश मजदूरी पेश व्यक्ति है जो करीब 300–400 रूपये प्रतिदिन कमाता है तथा अप्रार्थी सं0 3 राजवीर डोरोली रोड़ खेरलीरेल में एक प्राईवेट स्कूल में बच्चों को अध्यापन का कार्य करता है, जिसे करीब 15000 रूपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। अप्रार्थीयान का कर्तव्य व नैतिक जिम्मेदारी है कि वो वृद्ध व बीमार मां–बाप की देखभाल करें, दवाई खाने पीने प्यार प्रेम व अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे है। अप्रार्थीयान ने प्रार्थीयान को उनके पैत्रक घर से गालीा गलौच व अभद्र व्यवहार कर निकाल दिया है जो किराये का कमरा लेकर रह रहे है। प्रार्थीयान के पास आमदनी का कोई जरिया ना होने की वजह से उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ रही है किराये के मकान का किराया नहीं दे पा रहे है तथा दैनिक उपयोग की वस्तुऐ दवाई आदि उपलब्ध नहीं करा रहे है। अपीलांट्स पैसे वाले व साधनों से सम्पन्न है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की लिखित बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 सं0 1 व 2 आर्थिक रूप से कमजोर एवं असहाय, बीमार पक्षकार है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 में भरण–पोषण सम्पत्ति और कल्याण को निम्नानुसार परिभाषित किया है कि भरण–पोषण, आहार, चिकित्सा, वस्त्र, निवास, परिचर्या और उपचार उपलब्ध कराया जावें। अपीलांट्स की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो वृद्ध व बीमान मां–बाप की देखभाल करे, दवाई खाने पीने की व्यवस्था करे एवं गाली गलौच व अभद्र व्यवहार ना करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अपील अपीलांट्स खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर का निर्णय दिनांक 21.07.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2024 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अलवर (राजस्थान)